5 रु. Rs.5 विलोपित INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 विलोपित भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

183

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

विविध - 9283 - I - 16

विविध प्र0क0 /2016 जवलपुर

श्री सुनील सिंह पांडे द्वारा आज दि. 8-12-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 8/12/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

226
8.12.16

8-12-16

8246

नरसिह मसराम पिता श्री सुमरत मसराम गौड निवासी म.न. 38 ग्राम ऐठाखेडा तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.

.............आवेदक

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर
2. संतोष तिवारी पिता श्री रामजी तिवारी निवासी ग्राम घाटपिपरिया , तहसील व जिला जवलपुर म. प्र.

..........अनावेदकगण

आवेदन पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के तहत अपील क 2736 /एक/2016 मे पारित आदेश दिनांक 7.9.2016 में आदेश व अंकित शर्त क 1 को आगामी तीन माह तक वडाये जाने वावत ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि,आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क 133/अ–21/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 1.08.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिस अपील को श्रीमान महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 7.9.2016 से स्वीकार की जाकर आवेदक को भूमि को विकय की अनुमति प्रदान की गई ।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9283—एक/2016 जिला —जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.12.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित होकर आवेदन पत्र म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व मण्डल द्वारा अपील प्रकरण कमांक 2736—एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 7.9.16 में कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण कमांक 133/अ—21/15—16 में पारित आदेश दिनांक 1.8.2016 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 7.9.16 से विकय की अनुमति दी गई थी। 2— उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक से तीन माह के अन्दर पंजीयन करने की शर्त पर दी गई परन्तु आवेदक एवं अनावेदक आर्थिक परेशानी की वजह से नियत समय के अन्दर उक्त पंजीय का निष्पादन नहीं करा सका। अतः उसे तीन माह के लिये और बढाया जावे। 3— आवेदक के अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण कमांक अपील 2736—एक/16 में पारित आदेश दिनांक 7.9.16 में दी गई पंजीयन कराने की शर्त आगामी तीन माह के लिये बढ़ाने की स्वीकृति दी जाती है। 4— आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक का सरनेम में श्राम टाइप हो गया है उसकी जगह मसराम पढा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	